प्ररूप सं. 29ग

[नियम 40खक *देखें*]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115जग के अधीन किसी कंपनी से भिन्न व्यक्ति की समायोजित कुल आय और वैकल्पिक न्यूनतम कर की संगणना करने के लिए रिपोर्ट

1. मैंने/हमने* 31 मार्च, ... को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए समायोजित कुल आय और वैकल्पिक न्यूनतम कर के परिनिर्धारण के लिए .... (कारबार की प्रकृति) के कारबार में लगे हुए .... ([1]**[**स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक**]** के साथ निर्धारिती का नाम और पता) के लेखे और अभिलेखों की परीक्षा कर ली है।

2. (*क*) मैं/हम* यह प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि समायोजित कुल आय और वैकल्पिक न्यूनतम कर की संगणना आय-कर अधिनियम के अध्याय 12खक के उपबंधों के अनुसार की गई है। निर्धारण वर्ष .... की बाबत आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन संदेय कर .... रुपये है, जिसे इस प्ररूप के उपाबंध क में दिए गए ब्यौरों के आधार पर अवधारित किया गया है।

3. मेरी/हमारी* राय में और मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और मुझे/हमें* दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपाबंध क में दी गई विशिष्टियां सही और ठीक हैं।

स्थान : ....

तारीख : ....

....

(हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और स्टांप/मुहर)

†अकाउंटेन्ट

टिप्पण :

1. *जो लागू न हो उसे काट दें।

2. † यह प्रमाण पत्र निम्नलिखित द्वारा दिया जाना है :

(*i*) चार्टर्ड अकाउन्टेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थान्तर्गत कोई चार्टर्ड अकाउन्टेंट ; या

(*ii*) कोई व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 226 की उपधारा (2) के उपबंधों के आधार पर किसी राज्य के संबंध में उस राज्य में रजिस्ट्रीकृत कंपनियों के संपरीक्षक के रूप में कृत्य करने के लिए नियुक्त होने का हकदार है।

3. जहां इस रिपोर्ट में कथित किसी विषय का उत्तर नकारात्मक या सापेक्ष रूप में दिया जाता है, वहां रिपोर्ट में इसके कारणों का कथन किया जाएगा।

---

1. आयकर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1-9-2019 से "स्थायी खाता संख्यांक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

उपाबंध क

[पैरा 2 *देखें*]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115जग के प्रयोजनों के लिए की समायोजित कुल आय और वैकल्पिक न्यूनतम कर की संगणना से संबंधित ब्यौरे

1.	निर्धारिती का नाम			
2.	निर्धारिती का पता			
3.	स्थायी लेखा संख्यांक			
4.	निर्धारण वर्ष			
5.	आय-कर अधिनियम के अध्याय 12खक को प्रभावी करने से पूर्व आय-कर अधिनियम अधिकथित रीति में संगणित निर्धारिती की कुल आय।			
6.	ऊपर स्तंभ 5 में निर्दिष्ट कुल आय पर संदेय आय-कर।			
7.	शीर्ष "ग" के अधीन अध्याय 6क में सम्मिलित (धारा 80त से भिन्न) किसी धारा के अधीन दावा की गई कटौती की रकम-कतिपय आयों के संबंध में कटौतियां	क्रम सं.	धारा जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया	दावा की गई कटौती की रकम
8.	धारा 10कक के अधीन दावा की गई कटौती की रकम।			
9.	निर्धारिती की समायोजित कुल आय (5 + 7 + 8)			
10	वैकल्पिक न्यूनतम कर (ऊपर स्तंभ 9 में संगणित समायोजित कुल आय का 18.5%)			